



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 231]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/ CHAITRA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

सं. 29/2019-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 278(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, हैंडिलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास रेग्युलेशनस, 2009 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

- (1) इन विनियमों को हैंडिलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास (अमेंडमेंट) रेग्युलेशनस, 2019 कहा जाएगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- हैंडिलिंग ऑफ कार्गो इन कस्टम्स एरियास रेग्युलेशनस, में 2009 विनियम 5 में, उपविनियम (1) में, उपवाक्य (i) में, उप- उपवाक्य (ट) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ट) ऐसे अन्य उपकरण या सुविधाएं जिन्हें बोर्ड या प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या आयुक्त, सीमाशुल्क, जैसी भी स्थिति हो, सीमाशुल्क क्षेत्र में आयातित या निर्यातित माल की स्क्रीनिंग, जांच परख, कब्जे में लेने और उनकी देखरेख करने के बारे में विनिर्दिष्ट करते हो.”

[फा. सं. 450/114/2015-सीमाशुल्क IV]

राजीव रंजन, निदेशक (पीएसी-सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान विनियम को अधिसूचना संख्या 26/2009-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 17 मार्च, 2009, के द्वारा, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ), दिनांक 17 मार्च, 2009, के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 24/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 मार्च, 2017, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322(अ), दिनांक 31 मार्च, 2017 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2019

No. 29/2019-Customs (N.T.)

G.S.R. 278(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 141 read with section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Handling of Cargo in Customs Areas (Amendment) Regulations, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Handling of Cargo in Customs Areas Regulations, 2009, in regulation 5, in sub-regulation (1), in clause (i), for sub-clause (o), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(o) such other equipment or facilities as the Board or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may specify having regard to the screening, examination, custody and handling of imported or export goods in a customs area.”.

[F. No. 450/114/2015-Cus.-IV]

RAJIV RANJAN, Director (PAC-Customs)

Note : The principal regulations notified *vide* notification No. 26/2009-Customs (N.T.), dated 17th March, 2009 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 174(E), dated the 17th March, 2009 and was last amended *vide* notification number 24/2017-Customs (N.T.), dated the 31st March, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 322(E), dated the 31st March, 2017.